रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 4
PART II—Section
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

25 FEB 1973

सं० 3] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, फरवरी 1, 1973/माघ 12, 1894
No. 3] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 1, 1973/MAGHA 12, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January 1973

S.R.O. 3-E.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby fixes 25th March, 1973 as the date on which elections in Barrackpore Cantonment shall be held.

[File No. 29/24/C/L&C/66/206-C/D(Q&C).]

M. SUBRAMANYAM, Jt. Secy

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1973

का० नि० आ० 3-ई.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 25 मार्च 1973 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को बैरकपुर छावनी में साधारण निर्वाचन किए जायेंगे।

[फाइल सं० 29/24/सी/एल एण्ड सी/66/206—सी/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

एम० सुब्रामण्यम, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973